FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2026

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0141 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 02/06/2026 11:07 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**
   1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 01/03/2026 **Date To (दिनांक तक):** 11/03/2026
   Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 10:40 बजे **Time To (समय तक):** 11:48 बजे

   (b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 02/06/2026 **Time (समय):** 10:00 बजे

   (c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 02/06/2026 11:07:42 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**
   1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** WEST, 130 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

   (b)**Address(पता):** POLICE THANA BAJJU, JILA BIKANER

   (c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

   Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** CHHGANLAL

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** JAGMALRAM SONI

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 2000 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	WARD NO.07, UPARLA BAAS,KOLAYAT, BIKANER, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	WARD NO.07, UPARLA BAAS,KOLAYAT, BIKANER, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	DHARMVEER YADAV		पिता:MAHAVEER SINGH	1. GRAM AVM POST KALAKHARI,KHETARI,SINGHANA,JHUNJHUNU,RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		1,500.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 1,500.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

महोदय,निवेदन है कि दिनांक 28.02.2026 को समय 04.15 पीएम पर ए.सी.बी. हैल्पलाईन 1064 के माध्यम से भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के परिवादी के रुप में श्री छगनलाल पुत्र जगमालराम सोनी, उम्र 26 वर्ष निवासी वार्ड नं. 7, उपरला बास, कोलायत, जिला बीकानेर ब्यूरो चौकी पर मुझ पुलिस निरीक्षक के कक्ष में उपस्थित हुए। परिवादी श्री छगनलाल द्वारा अपनी परिवेदना के संबंध में जानकारी दी जाकर श्री धर्मवीर यादव-सहायक उप निरीक्षक, पुलिस थाना बज्जु, जिला बीकानेर के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही हेतु एक हस्तलिखित प्रार्थना पत्र मुझ पुलिस निरीक्षक को प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया तथा पढकर परिवादी को सुनाया गया। परिवादी ने हस्तलिखित प्रार्थना पत्र में अंकित समस्त तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर सहमति प्रकट की तथा पूछने पर प्रार्थना पत्र स्वयं के हस्तलेख में होना बताया। प्रार्थना पत्र का विवरण निम्न प्रकार से है- ‘‘सेवा में श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो चौकी बीकानेर विषय पुलिस थाना बज्जु के आईओ धर्मवीर यादव सहायक उप निरीक्षक को रिश्वत लेते हुए ट्रैप करवाने के संबंध में। महोदय,श्रीमान् जी निवेदन है कि बज्जु तहसील के भलूरी गांव में मेरी एक किराए कि आशापुरा ज्वैलर्स नाम से ज्वैलरी की दुकान हैं। मेरी दुकान में 4-5 लाख रुपये के सोने चांदी के आभूषण की चोरी होने की घटना पर मैंने बज्जु पुलिस थाने में दिनांक 24.01.2026 को सोने चांदी की चोरी का मुकदमा नंबर 16/2026 अज्ञात के खिलाफ दर्ज करवाया गया था जिसकी जांच श्री धर्मवीर यादव सहायक उप निरीक्षक कर रहे हैं। मेरे मामले के मुल्जिमों को अब तक कोई पता नहीं लगा है। मैं कल दिनांक 27.02.2026 को श्री धर्मवीर यादव सहायक उप निरीक्षक से बज्जु थाने में जाकर मेरे मुकदमे की जानकारी लेने के लिए मिला तो उन्होंने मुझसे मुल्जिमों की लोकेशन पता करने के नाम पर 10,000 रुपये की रिश्वत मांग की तथा मुझे एक-दो दिन में 10,000 रुपये लेकर आने का कहा है। मैं श्री धर्मवीर यादव सहायक उप निरीक्षक को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़वाना चाहता हूं। कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें। दिनांक 28.02.2026 प्रार्थी एस.डी. छगनलाल छगनलाल पुत्र जगमालराम निवासी वार्ड नं. 7, कोलायत जिला बीकानेर परिवादी ने बताया कि दिनांक 27.02.2026 को मेरे द्वारा मुलाकात करने पर श्री धर्मवीर यादव-सहायक उप निरीक्षक द्वारा मेरे मुकदमा सं. 16/2026 के अनुसंधान में अभियुक्तगण की लोकेशन प्राप्त करने हेतु मुझको 10000 रुपये रिश्वत राशि सहित आज दिनांक 28.02.2026 को थाने पर बुलाया था। मेरी दुकान में चोरी हो जाने के कारण मेरा पहले भी काफी नुकसान हो चुका है। मैं मेरे विधिक कार्य करने के लिए श्री धर्मवीर यादव-सहायक उप निरीक्षक को कोई रिश्वत देना नहीं चाहता हूं। मैं श्री धर्मवीर यादव को मुझसे रिश्वत प्राप्त करने के दौरान भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से पकड़वाना चाहता हूं। परिवादी ने पूछने पर बताया कि मेरी श्री धर्मवीर यादव-सहायक उप निरीक्षक से कोई शत्रुता नहीं है तथा न ही हमारा आपसी कोई उधारी का कोई लेनदेन है। परिवादी ने पुलिस थाना बज्जु में दर्ज करवाए गए प्रकरण सं. 16/2026 की एक प्रति तथा स्वयं के आधार कार्ड की फोटोप्रति प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की जिसे अवलोकन किया जाकर शामिल कार्यवाही दस्तावेज किया गया। प्रार्थना पत्र में परिवादी श्री छगनलाल के लिखित तथयों, पूछताछ व प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार श्री धर्मवीर यादव-सहायक उप निरीक्षक द्वारा परिवादी श्री छगनलाल के द्वारा दर्ज करवाए गए मुकदमे में अनुसंधान के दौरान अज्ञात अभियुक्तगण की लोकेशन निकलवाने के नाम पर 10000 रुपये रिश्वत राशि की मांग करना भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की परिधि में आना प्रथम दृष्टया पाया जाने पर रिश्वत मांग सत्यापन कार्यवाही करवाया जाना तय किया गया। समय 04.45 पीएम पर परिवादी श्री छगनलाल को रिश्वत मांग सत्यापन कार्यवाही की आवश्यकता एवं प्रक्रिया समझाई गई। परिवादी ने बताया कि आज बज्जु पहुंचने में देर हो जाएगी तथा आरोपित श्री धर्मवीर यादव-सहायक उप निरीक्षक के मिलने की संभावना भी क्षीण हैं। अतः मैं कल दिनांक 01.03.2026 को श्री धर्मवीर यादव-सहायक उप निरीक्षक से बज्जु में मिलकर रिश्वत की मांग का सत्यापन करवा दूंगा। समय 05.00 पीएम पर श्री अनिल कुमार-कानि. 186 को मन् पुलिस निरीक्षक ने अपने कक्ष में बुलाकर मौजूदा परिवादी श्री छगनलाल से आपसी परिचय करवाकर परिवादी के प्रार्थना पत्र के तथ्यों से अवगत करवाया गया, परिवादी व आरोपी के मध्य वार्ता के दौरान की संभावनाओं पर विचार विमर्श किया गया। परिवादी को बताया गया कि रिश्वत मांग सत्यापन कार्यवाही ब्यूरो कर्मी श्री अनिल कुमार-कानि. की सहायता से करवाई जानी है। तत्पश्चा्त् श्री अनिल कुमार- कानि. को मालखाना से डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर/डीवीआर मय सील्ड मेमोरी कार्ड प्रस्तुत करने के निर्देश पर श्री अनिल कुमार- कानि. ने डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय नया सील्ड मेमोरी कार्ड मालखाना से प्राप्त कर प्रस्तुत किया।

परिवादी श्री छगनलाल व श्री अनिल कुमार-कानि. को रिश्वत मांग सत्यापन कार्यवाही व डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर में वार्ताएं रिकॉर्ड करने हेतु इसे चालू व बंद करने की प्रक्रिया से समझाया गया। परिवादी के बताए अनुसार दिनांक 01.03.2026 को रिश्वत मांग सत्यापन की कार्यवाही करवाया जाना तय हुआ था। अतः परिवादी को निर्देश प्रदान किए गए कि आरोपी द्वारा संपर्क करने की स्थिति में अविलंब मुझ पुलिस निरीक्षक को सूचित करें। परिवादी को बताया कि आपकी प्राप्त सूचना के अनुसार श्री अनिल कुमार कानि. को रिश्वत मांग सत्यापन कार्यवाही हेतु डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर व मेमोरी कार्ड सहित ब्यूरो चौकी बीकानेर से आपके पास भेजा जाएगा। श्री अनिल कुमार कानि. को उचित निर्देश प्रदान किए गए। परिवादी ने बताया कि मैं अभी कोलायत लौटना चाहता हूं तथा आरोपी के संपर्क करने की स्थिति में सूचित कर दूंगा।समय 05.15 पीएम पर परिवादी के बताए अनुसार परिवादी को ब्यूरो चौकी से प्रस्थान की अनुमति प्रदान की गई। डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर व नया सील्ड मेमोरी कार्ड मुझ पुलिस निरीक्षक द्वारा स्वयं के पास आलमारी में सुरक्षित रखा गया। दिनांक 01.03.2026 समय 07.20 ए.एम. पर श्री अनिल कुमार कानि. को मुझ पुलिस निरीक्षक द्वारा अपने कक्ष में बुलाया जाकर डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर व एक नया सील्ड मेमोरी कार्ड जरिये फर्द सुपुर्दगी सुपुर्द किया गया। श्री अनिल कुमार कानि. को निर्देश दिए गए कि आप परिवादी श्री छगनलाल व मुझ पुलिस निरीक्षक से संपर्क रखते हुए पुलिस थाना बज्जु के पास पहुंच कर डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर में नया सील्ड मेमोरी कार्ड स्थापित करते हुए आरोपित द्वारा की जा रही रिश्वत मांग सत्यापन कार्यवाही करवाएं। समय 07.25 ए.एम. पर श्री अनिल कुमार कानि. को सुपुर्दशुदा डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय नया सील्ड मेमोरी कार्ड सहित ब्यूरो चौकी बीकानेर से पुलिस थाना बज्जु के लिए रवाना किया गया।
समय 04.20 पी.एम. पर श्री अनिल कुमार कानि. डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय स्थापित मेमोरी कार्ड सहित ब्यूरो चौकी पर उपस्थित हुआ। श्री अनिल कुमार कानि. ने डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मुझ पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द किया जाकर बताया कि "आज प्रातः ब्यूरो चौकी से रवाना होकर प्राइवेट बस से पुलिस थाना बज्जु के पास गोपनीय स्थान पर समय 09.30 ए.एम. पर पहुंचा था। परिवादी श्री छगनलाल भी वहां पर मुझसे संपर्क करके उपस्थित हुआ। रिश्वत मांग सत्यापन कार्यवाही के क्रम में नए सील्ड मेमोरी कार्ड को खोलकर डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर/डीवीआर में स्थापित किया जाकर खाली होना सुनिश्चित किया था। समय 10.40 ए.एम. पर डीवीआर की ऑडियो रिकॉर्डिंग को चालू किया जाकर परिवादी श्री छगनलाल को डीवीआर मय स्थापित मेमोरी कार्ड सुपुर्द कर रिश्वत मांग सत्यापन कार्यवाही के लिए पुलिस थाना बज्जु के लिए रवाना कर दिया था। परिवादी ने कुछ समय बाद गोपनीय स्थान पर वापस आकर डीवीआर मय स्थापित मेमोरी कार्ड मुझे सुपुर्द किया था जिसे प्राप्त कर मैंने ऑडियो रिकॉर्डिंग को बंद कर स्वयं के पास सुरक्षित रख लिया था। परिवादी ने पूछने पर बताया था कि आरोपित अधिकारी श्री धर्मवीर यादव सहायक उप निरीक्षक पुलिस थाना पर उपस्थित नहीं मिला था, जिसको मोबाइल नंबर पर सामान्य कॉल लगाकर लाउडस्पीकर पर वार्ता की गई तथा पुनः श्री धर्मवीर यादव स.उ.नि. द्वारा व्हाट्सऐप कॉल करने पर लाउडस्पीकर पर वार्ता हुई जिसमें उन्होंने एक घंटे बाद थाने पर आने का बताया था। उक्त वार्ताएं डीवीआर में रिकॉर्ड हुई थी। काफी इंतजार करने के बाद परिवादी ने पुनः सामान्य कॉल करके आरोपित श्री धर्मवीर यादव स.उ.नि. से बात की, स.उ.नि. ने परिवादी को थाने आने का बताया। इस पर मेरे द्वारा समय 01.08 पी.एम. पर डीवीआर मय स्थापित मेमोरी कार्ड की ऑडियो रिकॉर्डिंग को चालू किया जाकर परिवादी श्री छगनलाल को सुपुर्द कर रिश्वत मांग सत्यापन कार्यवाही के लिए पुलिस थाना बज्जु के लिए रवाना कर दिया था। परिवादी ने कुछ समय पश्चात् गोपनीय स्थान पर आकर डी.वी.आर. मय स्थापित मेमोरी कार्ड मुझे सुपुर्द किया था जिसे प्राप्त कर मेरे द्वारा ऑडियो रिकॉर्डिंग को बंद कर स्वयं के पास सुरक्षित रख लिया था। परिवादी ने पूछने पर बताया कि आरोपित श्री धर्मवीर यादव स.उ.नि. पुलिस थाना बज्जु पर उपस्थित मिला था जिसने मेरे मामले में बातचीत करते हुए मुल्जिम पकड़ने का मुझे आश्वासन दिया, मुल्जिमों की लोकेशन चैक करवाने की बात कही तथा बातचीत के दौरान मेरे कहने पर 1500 रुपये रिश्वत राशि मुझसे नकद प्राप्त कर ली थी, मेरे द्वारा कल परसों तक बाकी राशि के लिए कहने पर मुझे निसंकोच रहने तथा बाकी बात बता देने की बात कही थी। परिवादी को ट्रांसक्रिप्ट कार्यवाही हेतु कहने पर परिवादी ने बताया कि आज मुझे पारिवारिक काम से गांव जाना आवश्यक है। मैं कल ट्रांसक्रिप्ट कार्यवाही हेतु उपलब्ध हो जाउंगा। इस पर आप पुलिस निरीक्षक को रिश्वत मांग सत्यापन कार्यवाही की जानकारी प्रदान की जाकर निर्देशानुसार परिवादी को बज्जु मुख्यालय छोड़कर बज्जु से प्राइवेट बस से रवाना होकर ब्यूरो चौकी बीकानेर पर उपस्थित हुआ हूं।" मुझ पुलिस निरीक्षक द्वारा भी समय-समय पर श्री अनिल कुमार कानि. व परिवादी श्री छगनलाल से उक्त रिश्वत मांग सत्यापन कार्यवाही के दौरान निरंतर संपर्क होता रहा तथा उपर्युक्त तथ्यों की जानकारी प्राप्त की जाती रही। डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय स्थापित मेमोरी कार्ड की रिकॉर्डिंग को कार्यालय लैपटॉप पर कनैक्ट किया जाकर चैक किया गया तो निम्नलिखित विवरण की ऑडियो फाईल सुरक्षित होनी पाई गई-

S. N. FILE NAME DATE AND TIME OF CREATION
dd-mm-yyyy
hhmm (24 Hrs) HASH VALUE
(SHA-256)

1 260301_1040 01-03-2026
1040 2aed8374658ca450b4f50992baf86a6ef1c892de46608245d3f8d6c9c54f6f2c
2 260301_1308 01-03-2026
1308 676a4836154f5863934e2a194b17e05cf91bb42b592bea052d545767ece95c18
डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय स्थापित मेमोरी कार्ड की रिकॉर्डिंग को चैक करके सुनने पर रिश्वत मांग सत्यापन कार्यवाही के दौरान परिवादी श्री छगनलाल के बताए अनुसार तथ्यों की पुष्टि होनी पाई गई। परिवादी से जरिये मोबाइल कॉल वार्ता उक्त सत्यापन वार्ताओं तथा आगामी कार्यवाही के संबंध में विचार विमर्श किया गया। परिवादी ने बताया कि मैं आरोपित श्री धर्मवीर यादव से वार्ता करने के दौरान काफी घबरा गया था क्यूंकि मेरे द्वारा रिश्वत राशि के संबंध में आरोपित से पूछने पर उसने मुझसे ही लाई हुई राशि का पूछा, मेरे द्वारा बार-बार राशि का पूछने पर उसने मुझे टोकते हुए कहा कि मैंने पहले बताया तो था, तूं मिनट-मिनट में मेरे से क्यूं सुनना चाहता है, आदि आशय की वार्ता की थी। इसलिए मैं घबराहट के कारण पूर्ण रिश्वत राशि की मांग आरोपी से स्पष्ट नहीं कर पाया और मैंने स्वयं की ओर से 1500 रुपये रिश्वत राशि जल्दबाजी में आरोपित को दे दी। मेरे द्वारा कल परसों तक बाकी राशि के लिए कहने पर, आरोपित अधिकारी श्री धर्मवीर यादव ने कोई उत्तर नहीं दिया तथा मेरे थाने से निकलते समय मुझको निःसंकोच जाने तथा बाकी बात मुझे बता देने की बात कही थी। परिवादी को पुनः आरोपित अधिकारी से अगले दिन मुलाकात करके स्पष्ट रिश्वत मांग सत्यापन कार्यवाही करवाने के लिए पूछा गया तो परिवादी ने मुझ पुलिस निरीक्षक को बताया कि ‘‘मेरे द्वारा आज ही बार-बार रिश्वत की बात कहने पर आरोपित अधिकारी को मुझ पर कुछ शक हुआ था तथा आरोपित ने मुझे आज थाने से निकलते समय स्वयं ही बाकी बात बता देने की बात कही है। इसलिए तुरंत कल ही फिर मिलने से आरोपित अधिकारी को निश्चित ही शक हो जाएगा तथा वह मुझसे रिश्वत संबंधी कोई बात नहीं करेगा। आरोपित अधिकारी द्वारा निश्चित रुप से आगामी 2-3 दिन में मुझसे संपर्क किया जाने की संभावना है। आरोपित अधिकारी द्वारा आगामी 2-3 दिन में मुझसे संपर्क नहीं करने की स्थिति में होली त्योहार की व्यस्तता के बाद आरेापित अधिकारी से मेरे मामले में पुनः मिलकर स्पष्ट रुप से रिश्वत मांग सत्यापन करवा सकता हूं।‘‘ ट्रांसक्रिप्ट कार्यवाही के संबंध में पूछने पर परिवादी ने होली त्योहार के बाद उपलब्ध होने की बात कही। परिवादी को निर्देश दिए गए कि आरोपित अधिकारी की ओर से संपर्क करते ही अविलंब मुझ पुलिस निरीक्षक को सूचित करें तथा कार्यवाही की गोपनीयता बनाए रखें।डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय स्थापित मेमोरी कार्ड को आगामी कार्यवाही हेतु स्वयं के पास सुरक्षित रखा गया। परिवादी श्री छगनलाल से मोबाइल व्हाट्सऐप कॉल के माध्यम से संपर्क होता रहा। दिनांक 06.03.2026 समय 06.46 पी.एम. पर परिवादी से हुई वार्ता में परिवादी ने बताया कि अब तक आरोपित श्री धर्मवीर यादव-सहायक उप निरीक्षक की ओर से मुझसे संपर्क करने का कोई प्रयास नहीं हुआ है। परिवादी के बताए अनुसार सत्यापन वार्ता दिनांक 01.03.2026 के अनुसार आरोपित ने बाकी बात मुझे बता देने की बात कही थी। परिवादी के बताए अनुसार मैं कल दिनांक 07.03.2026 को अपने मुकदमे की स्थिति की जानकारी लेने के लिए पुलिस थाना बज्जु जाउंगा, मुकदमे की जानकारी लेने के दौरान आरोपित श्री धर्मवीर यादव द्वारा मांगी जा रही 10,000 रुपये रिश्वत की मांग का स्पष्ट सत्यापन करवा दूंगा। परिवादी के बताए अनुसार कल दिनांक 07.03.2026 को स्पष्ट रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता करवाया जाना तय किया गया। दनांक 07.03.2026 समय 07.10 ए.एम. पर श्री अनिल कुमार कानि. को मुझ पुलिस निरीक्षक द्वारा अपने कक्ष में बुलाया जाकर कार्यवाही में प्रयुक्त डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय स्थापित मेमोरी कार्ड अपनी आलमारी से निकालकर जरिये फर्द सुपुर्दगी सुपुर्द किया गया। श्री अनिल कुमार कानि. को निर्देश दिए गए कि आप परिवादी श्री छगनलाल व मुझ पुलिस निरीक्षक से संपर्क रखते हुए पुलिस थाना बज्जु के पास पहुंच कर आरोपित द्वारा की जा रही रिश्वत मांग सत्यापन कार्यवाही करवाएं। समय 07.15 ए.एम. पर श्री अनिल कुमार कानि. को सुपुर्दशुदा डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय स्थापित मेमोरी कार्ड ब्यूरो चौकी बीकानेर से पुलिस थाना बज्जु के लिए रवाना किया गया। समय 10.36 ए.एम. पर श्री अनिल कुमार कानि. ने मुझ पुलिस निरीक्षक को व्हाट्सऐप कॉल कर बताया कि ‘‘आज प्रातः ब्यूरो चौकी से रवाना होकर प्राइवेट बस से पुलिस थाना बज्जु के पास गोपनीय स्थान पर समय 09.30 ए.एम. पर पहुंचा था। परिवादी श्री छगनलाल भी वहां पर मुझसे संपर्क करके उपस्थित हुआ। समय 10.06 ए.एम. पर डीवीआर की ऑडियो रिकॉर्डिंग को चालू किया जाकर परिवादी श्री छगनलाल को डीवीआर मय स्थापित मेमोरी कार्ड सुपुर्द कर रिश्वत मांग सत्यापन कार्यवाही के लिए पुलिस थाना बज्जु के लिए रवाना कर दिया था। परिवादी ने इस समय गोपनीय स्थान पर वापस आकर डीवीआर मय स्थापित मेमोरी कार्ड मुझे सुपुर्द किया है जिसे प्राप्त कर मैंने ऑडियो रिकॉर्डिंग को बंद कर स्वयं के पास सुरक्षित रख लिया है। उक्त व्हाट्सऐप कॉल की निरंतरता में श्री अनिल कुमार कानि. ने मुझ पुलिस निरीक्षक की परिवादी श्री छगनलाल से वार्ता करवाई। परिवादी ने बताया कि मैं थाने पर गया तो आरोपित श्री धर्मवीर यादव-स.उ.नि. उपस्थित मिले थे जो कि अन्य व्यक्तियों के साथ किसी मामले में बातचीत करते हुए व्यस्त लग रहे थे तथा कहीं बाहर निकलने की तैयारी में थे, उन्होंने मुझे देखकर मुझसे दूर से ही बात की थी, सोमवार तक मेरा काम हो जाने का आश्वासन दिया था, धर्मवीर जी ने मुझे बकाया रिश्वत के बारे में संकेत में बोला कि मेरा बकाया करो तो इच्छा है, नहीं करो तो कोई बात नहीं।‘‘ परिवादी ने मुझ पुलिस निरीक्षक को बताया कि आरोपित के जल्दबाजी में होने के कारण स्पष्ट रिश्वत मांग संबंधी वार्ता नहीं हुई। उक्त वार्ता होने के बाद मैं थाना

बज्जु से रवाना होकर अनिलजी के पास आ गया और डीवीआर सुपुर्द कर दी थी। परिवादी को आवश्यक कार्यवाही हेतु ए.सी. बी. चौकी बीकानेर पर उपस्थिति के लिए कहा गया तो परिवादी ने भलूरी गांव में अपनी सुनार की दुकान पर जाना आवश्यक बताया तथा ए.सी.बी. चौकी पर पुनः बुलाने पर आ जाने की बात कही गई। श्री अनिल कुमार कानि. को ए.सी.बी चौकी पर लौटने के निर्देश दिए गए। समय 01.00 पी.एम. पर श्री अनिल कुमार कानि. डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय स्थापित मेमोरी कार्ड सहित ब्यूरो चौकी पर उपस्थित हुआ। मुझ पुलिस निरीक्षक से जरिये व्हाट्सऐप कॉल हुई वार्ता के तथ्यों को दोहराया। डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय स्थापित मेमोरी कार्ड की रिकॉर्डिंग को कार्यालय लैपटॉप पर कनैक्ट किया जाकर चैक किया गया तो निम्नलिखित विवरण की ऑडियो फाईल सुरक्षित होनी पाई गई-

S. N. FILE NAME DATE AND TIME OF CREATION
dd-mm-yyyy
hhmm (24 Hrs) HASH VALUE
(SHA-256)
1 260307_1006 07-03-2026
1006 d0811d980f544923201a5269159cb56d971afe0b437bef466286c76f763ecfee

उक्त रिकॉर्ड वार्ता को सुना जाकर डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय स्थापित मेमोरी कार्ड को आगामी कार्यवाही हेतु स्वयं के पास सुरक्षित रखा गया। समय 06.48 पी.एम. तक परिवादी श्री छगनलाल व अति. पुलिस अधीक्षक महोदय से सत्यापन कार्यवाही के तथ्यों पर विचार विमर्श होता रहा। अब तक रिकॉर्ड दोनों रिश्वत मांग सत्यापन वार्ताओं के दौरान आरोपित द्वारा परिवादी से चतुराईपूर्ण वार्तालाप करते हुए परिवादी से रिश्वत संबंधी पूछताछ करना, देने के लिए कहना, 1500 रुपये रिश्वत प्राप्त करना, शेष रिश्वत राशि के संबंध में पुनः सत्यापन के दौरान परिवादी से सोमवार तक काम हो जाने की बात कहना, रिश्वत के बारे में सांकेतिक रुप से कुछ करने की बात कहना, रिश्वत के बारे में आधा अधूरा आने पर शिकायती लहजे में बात करना, बकाया रिश्वत के बारे में कहना कि मेरा बकाया काम करे तो तेरी इच्छा है, नहीं करे तो कोई बड़ी बात नहीं आदि। पाया गया है। आरोपित श्री धर्मवीर यादव-सहायक उप निरीक्षक पुलिस थाना बज्जु द्वारा परिवादी से उसके लंबित अनुसंधानाधीन प्रकरण के अनुसंधान कार्य में मुल्जिम की लोकेशन पता करने, चोरी का सामान दिलाने की ऐवज में रिश्वत की मांग करना, आंशिक रिश्वत प्राप्त करना तथा शेष रिश्वत राशि के लिए परिवादी को कहना स्पष्ट हुआ है।दिनांक 07.03.2026 की रिकॉर्ड रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता तथा परिवादी से विचार विमर्श के अनुसार सोमवार दिनांक 09.03.2026-10.03.2026 तक आरोपित स्वयं की ओर से परिवादी से संपर्क करने की संभावना पाई गई। परिवादी से विचार विमर्श अनुसार आरोपित की ओर से संपर्क करने पर ही आगामी कार्यवाही किया जाना उचित होगा। परिवादी को ट्रांसक्रिप्ट कार्यवाही के लिए कहा जाने पर परिवादी ने अपनी दुकान के कार्य में व्यस्तता बताई व एक-दो दिन में ब्यूरो कार्यालय उपस्थित हो जाना बताया।दिनांक 09.03.2026 समय 04.48 पी.एम. पर परिवादी श्री छगनलाल से व्हाटसऐप कॉल वार्ता हुई तथा आरोपित की ओर से संपर्क किए जाने के संबंध में पूछने पर परिवादी ने आरोपित की ओर से कोई संपर्क नहीं होना बताया। परिवादी ने बताया कि आज देर तक अथवा कल सुबह आरोपित की ओर से कॉल आने की प्रतीक्षा करना उचित रहेगा। परिवादी ने बताया मैं दिनांक 10.03.2026 को ब्यूरो कार्यालय, बीकानेर पर आकर रिकॉर्ड वार्ताओं की ट्रांसक्रिप्ट कार्यवाही करवा दूंगां। दिनांक 10.03.2026 को गोपनीय राजकार्य हेतु अधिकारीगण/कर्मचारीगण की आवश्यकता के क्रम में श्रीमान् संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थय सेवाएं, बीकानेर जोन, बीकानेर को इस कार्यालय से पत्र क्रमांक 1070 दिनांक 09.03.2026 निर्गत किया जाकर श्री राजेंद्र नाई-हैड कानि. 127 के माध्यम से भिजवाया गया था। उक्त पत्र की पालना में समय 02.15 पी.एम. पर निम्नलिखित कार्मिक ब्यूरो चौकी पर मुझ पुलिस निरीक्षक के समक्ष उपस्थित हुए -

1. श्री रामेश्वर लाल ब्राह्मण पुत्र जेठमल उम्र 59 वर्ष निवासी सुथारों की बड़ी गवाड़, बीकानेर वर्तमान पता- सी-42, मुरलीधर व्यास नगर, बीकानेर (मो नं.)
पदनाम- अति. प्राशासनिक अधिकारी, कार्यालय संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, बीकानेर जोन, बीकानेर
2. श्री जय सिंह पुत्र चिमन सिंह उम्र 24 वर्ष निवासी गायित्री शक्तिपीठ के पास, पुरानी गिन्नाणी, बीकानेर (मो नं.)
पदनाम - कनिष्ठ सहायक, कार्यालय संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, बीकानेर जोन, बीकानेर उपस्थित दोनों कार्मिकों से ब्यूरो की गोपनीय कार्यवाही में स्वतंत्र साक्षिगण के रुप में कार्य करने हेतु सहमति चाही गई। उपस्थित कार्मिकों द्वारा स्वतंत्र साक्षिगण के रुप में कार्य करने पर सहमति व्यक्त की। उपस्थित दोनों साक्षिगण को ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित रहने के निर्देश प्रदान किए गए। समय 03.30 पी.एम. पर परिवादी श्री छगनलाल ब्यूरो कार्यालय में मुझ पुलिस निरीक्षक के समक्ष उपस्थित हुआ। परिवादी व उपस्थित साक्षिगण का आपसी परिचय करवाया गया। परिवादी द्वारा दिनांक 28.02.2026 को आरोपित श्री धर्मवीर यादव-सहायक पुलिस निरीक्षक, पुलिस थाना बज्जु, बीकानेर के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही हेतु दिए गए प्रार्थना पत्र के तथ्यों व अब तक की सत्यापन कार्यवाही की तथ्यों से अवगत करवाया गया। मुझ

पुलिस निरीक्षक द्वारा मालखाना से पीतल की सील सं. 89 कार्यवाही हेतु प्राप्त की गई। मुझ पुलिस निरीक्षक द्वारा स्वयं के पास सुरक्षित रखे हुए कार्यवाही में प्रयुक्त डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय स्थापित मेमोरी कार्ड को आलमारी से निकालकर कार्यालय लैपटॉप में कनैक्ट किया जाकर परिवादी श्री छगनलाल व उपस्थित स्वतंत्र साक्षिगण श्री रामेश्वरलाल-अति. प्राशासनिक अधिकारी, श्री जय सिंह-कनिष्ठ सहायक की उपस्थिति में व श्री अनिल कुमार कानि. 186 की सहायता से सुन-सुन कर दिनांक 01.03.2026 व 07.03.2026 की रिकॉर्ड रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता की ट्रांसक्रिप्ट समय 03.40 पी.एम. पर तैयार की जानी प्रारंभ की गई। समय 06.10 पी.एम. तक रिश्वत मांग सत्यापन संबंधी रिकार्ड वार्ता दिनांक 01.03.2026 की दो ऑडियो फाईल व 07.03.2026 की एक ऑडियो फाईल को सुन-सुनकर ट्रांसक्रिप्ट तैयार की जाकर समाप्त की गई। ट्रांसक्रिप्शन कार्यवाही की विस्तृत विवरण की फर्द तैयार की गई। ट्रांसक्रिप्शन के दौरान वार्ताओं का हिंदी रुपांतरण श्री अनिल कुमार-कानि. की सहायता से किया गया। उक्त तीन ऑडियो फाईल को दो पैन ड्राइव में कॉपी कर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा साक्ष्य स्वरुप दो पैन ड्राईव तैयार किये गये। एक पैन ड्राईव को एक प्लास्टिक सेफ्टी कवर में डालकर एक कपड़े की थैली में रखकर सील मोहर मार्क A-1 अंकित किया गया। दूसरे पैन ड्राईव को पैन ड्राइव कवर में डालकर अन्वेषण प्रयोजनार्थ खुला रखा गया। डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर को लैपटॉप से अलग किया जाकर स्थापित मैमोरी कार्ड को बाहर निकालकर मूल मेमोरी कार्ड को मेमोरी कार्ड कवर मे डालकर एक सफेद कपड़े की थैली में रखकर सील किया जाकर मार्क A अंकित किया गया। डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर व पीतल की सील सं. 89 को आगामी कार्यवाही हेतु स्वयं के पास आलमारी में सुरक्षित रखा गया। उपर्युक्त साक्ष्य प्रादर्श संख्या कुल 3 मालखाना प्रभारी श्री राजेंद्र हैड कानि. को सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाए गए। परिवादी के प्रार्थना पत्र, रिश्वत मांग सत्यापन वार्ताओं में आए तथ्यों से आरोपित श्री धर्मवीर यादव-स.उ.नि. द्वारा परिवादी से चतुराईपूर्ण वार्तालाप करते हुए परिवादी से रिश्वत संबंधी पूछताछ करना, देने के लिए कहना, 1500 रुपये रिश्वत प्राप्त करना, शेष रिश्वत राशि के संबंध में पुनः सत्यापन वार्ता के दौरान सोमवार तक काम हो जाने की बात कहना, रिश्वत के बारे में सांकेतिक रुप से कुछ करने की बात कहना, रिश्वत के बारे में आधा अधूरा आने पर शिकायती लहजे में बात करना, बकाया रिश्वत के बारे में कहना कि मेरा बकाया काम करे तो तेरी इच्छा है, नहीं करे तो कोई बड़ी बात नहीं आदि। पाया गया। इस प्रकार आरोपित श्री धर्मवीर यादव-सहायक उप निरीक्षक पुलिस थाना बज्जु द्वारा परिवादी से उसके लंबित अनुसंधानाधीन प्रकरण के अनुसंधान कार्य में मुल्जिम की लोकेशन पता करने, चोरी का सामान दिलाने की ऐवज में रिश्वत की मांग करना, आंशिक रिश्वत प्राप्त करना तथा शेष रिश्वत राशि के लिए परिवादी को कहना प्रथम दृष्टया स्पष्ट है। साक्षिगण के समक्ष संपन्न विचार विमर्श में परिवादी ने मुझ पुलिस निरीक्षक को अवगत करवाया कि "आरोपित ने सोमवार तक मेरा चोरी संबंधी दर्ज प्रकरण में काम हो जाने का आश्वासन दिया था परंतु इन गत दो दिनों में आरोपित की ओर से मुझसे कोई संपर्क नहीं किया गया है। परिवादी ने बताया कि आरोपित अधिकारी स्वयं की ओर से कम संपर्क करता है तथा मुकदमे की जानकारी लेने के लिए मिलने पर चतुराई से रिश्वत की मांग कर लेता है, इसलिए कल दिनांक 11.03.2026 को मुकदमे की जानकारी लेने के लिए पुलिस थाना बज्जु जाने पर आरोपित द्वारा मुझसे रिश्वत मांगी जाएगी तथा बकाया रिश्वत राशि 8500 रुपये के लिए मुझे फिर कहा जाएगा।" सांकेतिक ढंग से आरोपित द्वारा परिवादी को आधा-अधूरा न आकर पूरा आने तथा रिश्वत राशि के संबंध में बकाया काम करने संबंधी बातें कहने के परिवादी के बताए गए तथयों की पुष्टि रिश्वत मांग सत्यापन वार्तालाप में हो चुकी है। अतः परिवादी से विचार विमर्श कर, अति. पुलिस अधीक्षक महोदय व उच्चाधिकारीगण से मार्गदर्शन प्राप्त किया जाकर दिनांक 11.03.2026 को रिश्वत लेनदेन संबंधी ट्रैप कार्यवाही का आयोजन किया जाना तय किया गया। परिवादी को दिनांक 11.03.2026 को प्रातः 08.30 ए.एम. पर रिश्वत राशि 8500 रुपये की व्यवस्था की जाकर ब्यूरो चौकी पर उपस्थिति दिए जाने के निर्देश दिए गए। उपस्थित दोनो साक्षिगण को भी दिनांक 11.03.2026 को समय 08.30 ए.एम. पर आगामी कार्यवाही हेतु ब्यूरो पर उपस्थिति दिए जाने के निर्देश दिए गए। गोपनीयता बनाए रखने के निर्देश दिए जाकर समय 06.50 पी.एम. पर परिवादी श्री छगनलाल व दोनो साक्षिगण को ब्यूरो कार्यालय से प्रस्थान की अनुमति प्रदान की गई। दिनांक 11.03.2026 समय 09.00 ए.एम. पर परिवादी श्री छगनलाल व दोनों साक्षिगण श्री रामेश्वरलाल-अति. प्राशासनिक अधिकारी, श्री जय सिंह-कनिष्ठ सहायक ब्यूरो चौकी पर मुझ पुलिस निरीक्षक के समक्ष उपस्थित मिले। ए.सी.बी चौकी एसयू, बीकानेर से श्री कन्हैयालाल कानि., श्री जमील अहमद कानि., श्री दिलीप कानि. ब्यूरो चौकी बीकानेर पर उपस्थित हुए। उपर्युक्तगण को ब्यूरो कार्यालय में रुकने के निर्देश प्रदान किए गए। समय 09.05 ए.एम. पर मुझ पुलिस निरीक्षक के निर्देश पर परिवादी श्री छगनलाल ने स्वतंत्र साक्षिगण के समक्ष निम्न विवरण के 500-500 रुपये के 17 नोट कुल 8500 राशि की भारतीय मुद्रा के प्रस्तुत किए -

क्र. सं. नोट का विवरण नंबर नोट

1. एक 500 सौ रूपये का नोट 0HE 462464
2. एक 500 सौ रूपये का नोट 6RB 451448
3. एक 500 सौ रूपये का नोट 1KE 005611
4. एक 500 सौ रूपये का नोट 5CH 708249
5. एक 500 सौ रूपये का नोट 2LM 920233

6. एक 500 सौ रूपये का नोट 4MQ 814156
7. एक 500 सौ रूपये का नोट 1VK 232274
8. एक 500 सौ रूपये का नोट 8ET 253739
9. एक 500 सौ रूपये का नोट 2 RH 229463
10. एक 500 सौ रूपये का नोट 1VL 111064
11. एक 500 सौ रूपये का नोट 1RD 896289
12. एक 500 सौ रूपये का नोट 6CE 825840
13. एक 500 सौ रूपये का नोट 5ST 949821
14. एक 500 सौ रूपये का नोट 5VR 170975
15. एक 500 सौ रूपये का नोट 2BW 921923
16. एक 500 सौ रूपये का नोट 2BW 921922
17. एक 500 सौ रूपये का नोट 2BW 921926

श्री बजरंग सिंह, स.उ.नि. से फिनोल्फ्थलीन पाउडर की शीशी मालखाना से निकलवाकर उक्त सभी नोट एक अखबार के कागज पर रखवाकर उक्त स.उ.नि. से सभी नोटों पर फिनोल्फ्थलीन पाउडर लगवाया गया। तत्पश्चात परिवादी श्री छगनलाल की जामा तलाशी गवाह श्री जय सिंह से लिवाई जाकर परिवादी के पास मोबाईल, चश्मा व पहने हुए कपड़ों के अलावा कुछ भी नहीं रहने दिया व उक्त पाउडर युक्त नोट 8,500/- रूपये परिवादी के पहनी हुई पेंट की बांयी जेब में श्री बजरंग सिंह सउनि से रखवाये गये। परिवादी को हिदायत दी गई कि वह आरोपित से मिलने पर रिश्वती लेनदेन के दौरान एवं रिश्वती लेन-देन हो जाने के बाद आरोपित से हाथ नहीं मिलावें, रिश्वती राशि आरोपित द्वारा मांगे जाने पर उसे देवे, लेन-देन से पूर्व रिश्वती राशि को नहीं छुए, आरोपित रिश्वती राशि प्राप्त करके कहां रखता है उसका ध्यान रखे एवं रिश्वती राशि देने के बाद मिस कॉल/कॉल करके अथवा किसी बहाने से बाहर आकर ट्रेप पार्टी सदस्यों को देखते हुवे अपना चश्मा पहनकर/सिर पर हाथ फेरकर ईशारा करे। तत्पश्चात एक साफ प्लास्टिक के पारदर्शी डिस्पोजल गिलास में साफ पानी भरवाया जाकर सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार किया गया जो रंगहीन रहा। रंगहीन घोल के गिलास में श्री बजरंग सिंह सउनि के हाथों की अंगुलियों व अंगूठे को डूबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया। इस प्रकार परिवादी व गवाहान को दृष्टांत कार्यवाही करके दिखाई गई एवं सोडियम कार्बोनेट एवं फिनोल्फ्थलीन पाउडर की आपसी रासायनिक प्रतिक्रिया एवं उसका महत्व भी गवाहान व परिवादी को समझाया गया। जिस अखबार के कागज पर रखकर उक्त नोटों पर फिनोल्फ्थलीन पाउडर लगाया गया था उसे जलवाकर नष्ट करवाया गया। उक्त रासायनिक घोल को बाहर फिंकवाया जाकर उक्त गिलास को जलवाकर नष्ट किया गया। श्री बजरंग सिंह सउनि के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये तथा ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों के हाथ भी साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। श्री बजरंग सिंह सउनि को ट्रैप दल से पृथक् ब्यूरो कार्यालय में ही रूकने के निर्देश दिए गए। इस कार्यवाही की विस्तृत फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट तैयार की गई । जिस पर सभी संबंधित ने अपने अपने हस्ताक्षर किए। श्री बजरंग सिंह सउनि को ब्यूरो कार्यालय में रुकने के निर्देश प्रदान किए गए। कार्यवाही में प्रयुक्त पीतल की सील सं. 89 को ट्रैप बॉक्स में रखवाया गया। समस्त ट्रैप दल सदस्यों कों परिवादी तथा आरोपीगण के बारे में अवगत करवाया जाकर रिश्वत लेनदेन संबंधी ईशारे की जानकारी प्रदान की गई। मुझ पुलिस निरीक्षक द्वारा अपनी कार्यालय आलमारी से कार्यवाही में प्रयुक्त डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर निकाला जाकर मालखाना से एक नया सील्ड मेमोरी कार्ड लेकर रिश्वत लेनदेन संबंधी कार्यवाही के लिए स्वयं के पास रखा गया। बज्जु पहुंच उक्त डीवीआर में नया सील्ड मेमोरी कार्ड स्थापित किया जाकर परिवादी को रिश्वत लेनदेन संबंधी कार्यवाही के लिए रवाना किया जाना तय किया गया। समय 09.50 ए.एम. पर मैं पुलिस निरीक्षक आनन्द मिश्रा मय स्वतंत्र साक्षिगण श्री रामेश्वरलाल-अति. प्राशासनिक अधिकारी, श्री जय सिंह-कनिष्ठ सहायक, परिवादी श्री छगनलाल तथा ब्यूरो स्टाफ-श्री जय कुमार-पुलिस निरीक्षक, राजेंद्र हैड कानि. 127, राजवीर हैड कानि. 115, हरीराम कानि. 210, कन्हैयालाल कानि., जमील अहमद कानि., दलीप कुमार कानि. दो निजी कार मय प्राइवेट चालक से डीवीआर, नए सील्ड मेमोरी कार्ड, नए सील्ड पैन ड्राइव, लैपटॉप, प्रिंटर, सरकारी मोबाइल फोन, संपूर्ण ट्रैप बॉक्स आदि सामग्री सहित ब्यूरो चौकी बीकानेर से पुलिस थाना बज्जु, जिला बीकानेर से रवाना होकर समय 11.25 ए.एम. पर बज्जु मुख्य बाजार में पहुंचा। इस दौरान साक्षी श्री रामेश्वरलाल की उपस्थिति में सरकारी मोबाइल फोन में एक नया सील्ड मेमोरी कार्ड स्थापित किया जाकर आगामी कार्यवाही की वीडियोग्राफी हेतु श्री जमील अहमद कानि. को सुपुर्द किया गया। मुझ पुलिस निरीक्षक के पास उपलब्ध डीवीआर में एक नया सील्ड मेमोरी कार्ड साक्षी श्री रामेश्वरलाल की उपस्थिति में स्थापित किया जाकर चैक किया गया। समय 11.30 ए. एम. पर परिवादी श्री छगनलाल को उक्त डीवीआर की ऑडियो रिकॉर्डिंग चालू की जाकर डीवीआर सुपुर्द कर रिश्वत लेनदेन संबंधी ट्रैप कार्यवाही हेतु पुलिस थाना बज्जु को रवाना किया गया। शेष ट्रैप दल को सतर्कता रखते हुए पुलिस थाना बज्जु के आस-पास तैनात होने के निर्देश दिए गए। समय 11.45 ए.एम. पर परिवादी श्री छगनलाल पुलिस थाना बज्जु से निकलकर मुझ पुलिस निरीक्षक के पास गोपनीय स्थान पर उपस्थित हुआ जिससे डीवीआर प्राप्त किया जाकर ऑडियो रिकॉर्डिंग को बंद

किया गया। परिवादी ने साक्षी श्री रामेश्वरलाल की उपस्थिति में बताया कि मैंने थाने जाकर आरोपित श्री धर्मवीर यादव-स.उ.नि. के बारे में जानकारी प्राप्त की तो बीकानेर शहर में जाना ज्ञात हुआ हैं। परिवादी ने बताया कि मैंने श्री धर्मवीर यादव को कॉल लगाकर जानकारी लेनी चाही तो उन्होंने कॉल नहीं उठाया। समय 11.48 ए.एम. पर परिवादी श्री छगनलाल ने साक्षी श्री रामेश्वरलाल की उपस्थिति में आरोपित श्री धर्मवीर यादव-स.उ.नि. से जरिये व्हाट्सऐप कॉल वार्ता की, आरोपित श्री धर्मवीर यादव ने परिवादी को बीकानेर शहर में होना बताया, परिवादी द्वारा मिलने का पूछा तो आरोपित ने आज शाम तक अथवा कल दिनांक 12.03.2026 को मुलाकात संभव होने की बात कही, परिवादी ने भी बीकानेर स्वयं के काम से जाना बताया तो आरोपित द्वारा बीकानेर शहर पहुंचकर कॉल कर लेने की बात कही गई। डीवीआर में रिकॉर्ड ऑडियो को सुना जाने पर आरोपित के बज्जु में नहीं होने तथा बीकानेर शहर होने की पुष्टि हुई। इस पर समस्त ट्रैप दल को वस्तुस्थिति से अवगत करवाया गया। परिवादी से विचार विमर्श किया जाकर आरेापित श्री धर्मवीर यादव-स.उ.नि. के विरुद्ध आगामी ट्रैप कार्यवाही हेतु बीकानेर शहर की ओर जाने का निर्णय लिया गया।

समय 11.55 ए.एम. पर मैं पुलिस निरीक्षक, उपर्युक्त दोनों गवाहों, परिवादी, समस्त ट्रैप दल व सामग्री, निजी वाहनों मय प्राइवेट चालक बज्जु उपखंड मुख्यालय से बीकानेर शहर के लिए रवाना होकर समय 01.35 पी.एम. पर बीकानेर शहर उपयुक्त गोपनीय स्थान पर पहुंचा। कुछ समय में परिवादी की ओर से आरेापित को कॉल करवाया जाकर मिलने के बारे में पूछा जाना तय किया गया। समय 02.03 पी.एम. पर मुझ पुलिस निरीक्षक के निर्देशानुसार परिवादी श्री छगनलाल द्वारा दोनों स्वतंत्र साक्षिगण की उपस्थिति में आरोपित श्री धर्मवीर यादव-सउनि को व्हाट्सऐप कॉल लगाकर वार्ता करनी चाही तो आरोपित ने उत्तर नहीं दिया। आरोपित की ओर से परिवादी को कॉल किए जाने की प्रतीक्षा होती रही। समय 03.30 पी.एम. पर मुझ पुलिस निरीक्षक आनन्द मिश्रा मय स्वतंत्र साक्षिगण श्री रामेश्वरलाल-अति. प्राशासनिक अधिकारी, श्री जय सिंह-कनिष्ठ सहायक, परिवादी श्री छगनलाल तथा ब्यूरो स्टाफ-श्री जय कुमार-पुलिस निरीक्षक, राजेंद्र हैड कानि. 127, राजवीर हैड कानि. 115, हरीराम कानि. 210, कन्हैयालाल कानि., जमील अहमद कानि., दलीप कुमार कानि. दो निजी कारों मय प्राइवेट चालक, डीवीआर मय स्थापित मेमोरी कार्ड, नए सील्ड मेमोरी कार्ड, नए सील्ड पैन ड्राइव, लैपटॉप, प्रिंटर, सरकारी मोबाइल फोन मय स्थापित मेमोरी कार्ड, संपूर्ण ट्रैप बॉक्स आदि सामग्री सहित ब्यूरो चौकी बीकानेर पर उपस्थिति दर्ज करवाई गई। तत्पश्चात् दोनों स्वतंत्र साक्षिगण श्री रामेश्वरलाल-अति. प्राशासनिक अधिकारी, श्री जय सिंह-कनिष्ठ सहायक की उपस्थिति में परिवादी से आगामी कार्यवाही को लेकर विचार विमर्श किया गया। परिवादी ने बताया कि ए.सी.बी. कार्यवाही के प्रारंभ से लेकर मैं आरोपित से अब कई बार जरिये मोबाइल तथा व्यक्तिशः संपर्क कर चुका हूं तथा आज भी कई बार कॉल लगा चुका हूं। आरोपित को बार-बार कॉल करने से वह मुझ पर संदेह कर सकता है। अतः अब आरोपित को कॉल न किया जाकर 3-4 दिन तक उसकी ओर से कॉल आने की प्रतीक्षा किया जाना उचित होगां, इस दौरान मेरे मुकदमे में कुछ प्रगति होने पर आरोपित स्वयं की ओर से मुझे कॉल कर सकता है अन्यथा सोमवार दिनांक 16.03.2026 या मंगलवार को पुनः ट्रैप कार्यवाही का आयोजन किया जाना उचित होगा। ए.सी.बी. चौकी एसयू, बीकानेर से उपस्थित श्री जमील अहमद कानि., श्री दलीप कुमार कानि., श्री कन्हैयालाल कानि. को आगामी कार्यवाही के संबंध में उचित निर्देश दिए जाकर समय 04.00 पी.एम. पर ए.सी.बी. चौकी बीकानेर से ए.सी.बी. चौकी एसयू, बीकानेर के लिए प्रस्थान की अनुमति प्रदान की गई। समय 04.30 पी.एम. पर स्वतंत्र साक्षी श्री जय सिंह-कनिष्ठ सहायक की सहायता से परिवादी श्री छगनलाल की पहनी पेंट की बायीं जेब से रिश्वत राशि 8500 रुपये को निकलवाया जाकर चैक कर एक सफेद कागज में रखवाकर प्राप्त किया गया। उक्त रिश्वत संबंधी राशि 8500 रुपये को मुझ पुलिस निरीक्षक द्वारा आगामी कार्यवाही हेतु अपनी कार्यालय आलमारी में सुरक्षित रखा गया। श्री जय सिंह-कनिष्ठ सहायक, परिवादी श्री छगनलाल व मुझ पुलिस निरीक्षक द्वारा स्वयं के हाथ साबुन पानी से धोए गए। दिनांक 11.03.2026 को रिश्वत लेनदेन कार्यवाही संबंधी प्रयास के दौरान रिकॉर्ड ऑडियो संबंधी डीवीआर मय स्थापित मेमोरी कार्ड को कार्यालय लैपटॉप पर लगाकर चैक किया गया तो निम्न विवरण की ऑडियो फाईल होनी पाई गई-

S. N. FILE NAME DATE AND TIME OF CREATION
dd-mm-yyyy
hhmm (24 Hrs) HASH VALUE
(SHA-256)
1 260311_1130 11-03-2026
1130 69beeae3fd6f66d92e6a5999145d25ab18444ecffab0ec721fe143372a9b2c6a

आगामी आकस्मिक कार्यवाही हेतु ब्यूरो कार्यालय उपस्थित देने तथा गोपनीयता बनाए रखने के निर्देश दिए जाकर समय 04.45 पी.एम. पर परिवादी श्री छगनलाल व दोनो साक्षिगण श्री रामेश्वरलाल-अति. प्राशासनिक अधिकारी व श्री जय सिंह-कनिष्ठ सहायक को ब्यूरो कार्यालय से प्रस्थान की अनुमति प्रदान की गई। कार्यवाही में प्रयुक्त डीवीआर मय स्थापित मेमोरी कार्ड, सरकारी मोबाइल फोन मय स्थापित मेमोरी कार्ड व पीतल की सील नंबर 89 को आगामी कार्यवाही हेतु स्वयं के पास आलमारी में सुरक्षित रखा गया। परिवादी श्री छगनलाल से कार्यवाही के संबंध में जरिये दूरभाष संपर्क होता रहा।

दिनांक 16.03.2026 समय 11.31 ए.एम. पर परिवादी श्री छगनलाल से व्हाट्सएप कॉल पर वार्ता हुई। परिवादी ने बताया कि आरोपित श्री धर्मवीर यादव-स.उ.नि. का स्थानांतरण गत एक-दो दिनों में पुलिस थाना बज्जु से अन्यत्र हो जाने की जानकारी मिली है जिसके बारे में पक्की जानकारी करवाकर मैं सूचित करुंगा। दिनांक 17.03.2026 समय 04.15 पी. एम. पर परिवादी श्री छगनलाल ब्यूरो चौकी पर मुझ पुलिस निरीक्षक के कक्ष में उपस्थित हुआ। परिवादी ने अपने परिचित के माध्यम से पुलिस थाना बज्जु से मिली जानकारी के आधार पर आरोपित श्री धर्मवीर यादव-स.उ.नि. का स्थानांतरण पुलिस थाना बज्जु से अन्यत्र हो जाने की बात दोहराई। परिवादी से आगामी कार्यवाही की संभावनाओं पर विचार विमर्श किया गया। परिवादी ने बताया कि आरोपित श्री धर्मवीर यादव-स.उ.नि. का स्थानांतरण हो जाने के कारण अब आगे ट्रैप कार्यवाही संभव नहीं है क्यूंकि अब मेरे मुकदमे में नया अनुसंधान अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। परिवादी ने बताया कि मैं एक-दो दिन में पुनः विस्तृत जानकारी प्राप्त कर ए.सी.बी चौकी बीकानेर पर आगामी प्रक्रिया के लिए उपस्थित हो जाउंगा। परिवादी श्री छगनलाल को आगामी कार्यवाही संबंधी निर्देश प्रदान किए जाकर ब्यूरो कार्यालय से प्रस्थान की अनुमति प्रदान की गई। दिनांक 23.03.2026 समय 01.05 पी.एम. पर मुझ पुलिस निरीक्षक से संपर्क स्थापित कर परिवादी श्री छगनलाल तथा मुझ पुलिस निरीक्षक की सूचना पर ट्रैप कार्यवाही के स्वतंत्र साक्षिगण श्री रामेश्वरलाल-अति. प्राशासनिक अधिकारी व श्री जय सिंह-कनिष्ठ सहायक ब्यूरो चौकी पर उपस्थित हुए। परिवादी श्री छगनलाल से कार्यवाही को लेकर स्वतंत्र साक्षिगण के समक्ष विचार विमर्श हुआ। जिस पर परिवादी श्री छगनलाल ने बताया कि ‘‘परिचितों के माध्यम से ज्ञात हुआ है कि मेरी ओर से बार-बार संपर्क करने के कारण आरोपी को मुझ पर शक हुआ है तथा आरोपी का 7-8 दिन पहले ट्रांसफर हो चुका है। अब आगे कार्यवाही की कोई संभावना शेष नहीं है।‘‘ परिवादी श्री छगनलाल द्वारा कार्यवाही समाप्त करने के लिए एक हस्तलिखित प्रार्थना पत्र अति. पुलिस अधीक्षक को संबोधित मुझ पुलिस निरीक्षक को प्रस्तुत किया जिसे स्वतंत्र साक्षिगण को अवलोकन करवाया गया। प्रार्थना पत्र को परिवादी श्री छगनलाल सहित अति. पुलिस अधीक्षक के समक्ष ले जाया गया। अति. पुलिस अधीक्षक महोदय से कार्यवाही के संबंध में निर्देश प्राप्त किए गए। परिवादी के प्रार्थना पत्र को शामिल कार्यवाही दस्तावेज किया गया। मुझ पुलिस निरीक्षक द्वारा स्वयं के पास सुरक्षित रखे हुए कार्यवाही में प्रयुक्त डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय स्थापित मेमोरी कार्ड को आलमारी से निकालकर कार्यालय लैपटॉप में कनैक्ट किया जाकर परिवादी श्री छगनलाल व उपस्थित स्वतंत्र साक्षिगण श्री रामेश्वरलाल-अति. प्राशासनिक अधिकारी, श्री जय सिंह-कनिष्ठ सहायक की उपस्थिति में सुन-सुन कर दिनांक 11.03.2026 की रिकॉर्ड रिश्वत लेनदेन प्रयास कार्यवाही संबंधी वार्ता की ट्रांसक्रिप्ट समय 01.30 पी.एम. पर तैयार की जानी प्रारंभ की गई।मुझ पुलिस निरीक्षक द्वारा समय 02.50 पी.एम. तक रिश्वत लेनदेन प्रयास कार्यवाही संबंधी रिकार्ड वार्ता दिनांक 11.03.2026 की एक ऑडियो फाईल को सुन-सुनकर ट्रांसक्रिप्ट तैयार की जाकर समाप्त की गई। ट्रांसक्रिप्शन कार्यवाही की विस्तृत विवरण की फर्द तैयार की गई। ट्रांसक्रिप्शन के दौरान वार्ताओं का हिंदी रुपांतरण मुझ पुलिस निरीक्षक द्वारा किया गया। उक्त एक ऑडियो फाईल को दो पैन ड्राइव में कॉपी कर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा साक्ष्य स्वरुप दो पैन ड्राईव तैयार किये गये। एक पैन ड्राईव को एक प्लास्टिक सेफ्टी कवर में डालकर एक कपड़े की थैली में रखकर सील मोहर मार्क B-1 अंकित किया गया। दूसरे पैन ड्राईव को पैन ड्राइव कवर में डालकर अन्वेषण प्रयोजनार्थ खुला रखा गया। डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर को लैपटॉप से अलग किया जाकर स्थापित मैमोरी कार्ड को बाहर निकालकर मूल मेमोरी कार्ड को मेमोरी कार्ड कवर मे डालकर एक सफेद कपडे की थैली में रखकर सील किया जाकर मार्क B अंकित किया गया। उपर्युक्त साक्ष्य प्रादर्श संख्या कुल 3 मालखाना प्रभारी श्री राजवीर सिंह हैड कानि. 115 को सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाया गया। अब तक की कार्यवाही में प्रयुक्त पीतल की सील नबर 89 की फर्द नमूना सील समय 03.00 पी.एम. पर तैयार की जाकर सील को समय 03.10 पी.एम. पर तोड़कर अनुपयोगी कर नष्ट किया गया। फर्द नष्टीकरण पीतल की सील पृथक् से तैयार की गई। समय 03.25 पी.एम. पर परिवादी के प्रार्थना पत्र के आधार पर मुझ पुलिस निरीक्षक के द्वारा स्वयं के पास सुरक्षित रखे हुए 8500 रुपये रिश्वत राशि को आलमारी से निकालकर उपस्थित गवाहों के समक्ष नोटों का मिलान करवाया जाकर झाड़ पोंछ कर परिवादी को सुपुर्द किया गया। परिवादी से राशि सुपुर्दगी की पृथक् से रसीद प्राप्त की गई। स्वतंत्र गवाहों, परिवादी के हाथ साबुन पानी से धुलवाए गए। मुझ पुलिस निरीक्षक द्वारा स्वयं के हाथ साबुन पानी से धोए गए।

उपर्युक्त संपूर्ण कार्यवाही पश्चात् समय 03.45 पी.एम. पर परिवादी श्री छगनलाल तथा उपस्थित गवाहों श्री रामेश्वरलाल-अति. प्राशासनिक अधिकारी, श्री जय सिंह-कनिष्ठ सहायक को कार्यवाही से मुक्त किया जाकर ब्यूरो कार्यालय से प्रस्थान की अनुमति प्रदान की गई। संपूर्ण कार्यवाही से पाया गया कि परिवादी श्री छगनलाल सोनी की ओर से ए.सी.बी. चौकी बीकानेर पर दिए गए परिवाद दिनांक 28.02.2026 से श्री धर्मवीर यादव-सहायक उप निरीक्षक, पुलिस थाना बज्जु द्वारा परिवादी के द्वारा दर्ज करवाए गए चोरी के मुकदमे में अनुसंधान के दौरान अज्ञात अभियुक्तगण की लोकेशन निकलवाने के नाम पर 10000 रुपये रिश्वत राशि की मांग करने के तथ्य प्राप्त हुए थे। जिस पर आरोपित श्री धर्मवीर यादव-सहायक उप निरीक्षक, पुलिस थाना बज्जु, जिला बीकानेर के विरुद्ध कार्यवाही प्रारंभ करते हुए रिश्वत मांग सत्यापन कार्यवाही दिनांक 01.03.2026 व 07.03.2026 करवाई गई। रिश्वत मांग सत्यापन कार्यवाही के दौरान आरोपित अधिकारी द्वारा चोरी के प्रकरण के अनुसंधान कार्य में मुल्जिम की लोकेशन पता करने, चोरी का सामान दिलाने की ऐवज में चतुराईपूर्ण वार्तालाप

करते हुए परिवादी से रिश्वत संबंधी पूछताछ करते हुए, देने के लिए कहना, 1500 रुपये रिश्वत प्राप्त करना, शेष रिश्वत राशि के संबंध में पुनः सत्यापन वार्ता के दौरान सोमवार तक काम हो जाने की बात कहना, रिश्वत के बारे में सांकेतिक रुप से कुछ करने की बात कहना, रिश्वत के बारे में आधा अधूरा आने पर शिकायती लहजे में बात करना, बकाया रिश्वत के बारे में कहना कि मेरा बकाया काम करे तो तेरी इच्छा है, नहीं करे तो कोई बड़ी बात नहीं आदि कहा गया। दिनांक 11.03.2026 को पुलिस थाना बज्जु में रिश्वत लेनदेन संबंधी ट्रैप कार्यवाही आयोजन के दौरान हुई मोबाइल कॉल वार्ता में आरोपित अधिकारी ने स्वयं को पुलिस थाना बज्जु में न होकर बीकानेर शहर होना परिवादी को बताते हुए शाम तक या अगले दिन 12.03.2026 तक मुलाकात होने की बात कही। परिवादी द्वारा वार्ता के दौरान बीकानेर शहर में स्वयं के काम से जाने का कहने पर आरोपित अधिकारी ने बीकानेर पहुंचकर कॉल कर लेने के लिए परिवादी को कहा, तत्पश्चात् परिवादी के बीकानेर शहर पहुंचने पर फोन कॉल लगाने पर आरोपित अधिकारी ने उत्तर नहीं दिया। कई दिन प्रतीक्षा के बाद भी आरोपित अधिकारी की ओर से परिवादी से कोई संपर्क नहीं हुआ। परिवादी के बताए अनुसार बार-बार संपर्क करने के कारण आरोपित अधिकारी को शक हो जाने तथा आरोपित अधिकारी का पुलिस थाना बज्जु से स्थानांतरण हो जाने के कारणों से ट्रैप कार्यवाही संभव नहीं होना बताया। इस पर ट्रैप कार्यवाही को विराम दिया गया।
इस प्रकार आरोपित अधिकारी श्री धर्मवीर यादव-सहायक उप निरीक्षक का उक्त कृत्य अपराध अंतर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधन वर्ष 2018) के तहत प्रथम दृष्टया घटित होना पाया जाता है। अतः उक्त आरोपित श्री धर्मवीर यादव पुत्र महावीर सिंह, ग्राम व पोस्ट कालाखरी, तहसील खेतड़ी, थाना सिंघाना, जिला झुंझुंनूं, तत्कालीन पद-सहायक उप निरीक्षक पुलिस थाना बज्जु, जिला बीकानेर वतर्मान पद- सहायक उप निरीक्षक, रिजर्व पुलिस लाईन, बीकानेर के विरूद्ध उपरोक्त धारा में बिना नंबरी एफआईआर पंजीयन एवं क्रमांकन हेतु श्रीमान महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राज. जयपुर की सेवामें सादर प्रेषित है।(आनन्द मिश्रा) पुलिस निरीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो बीकानेर.......कार्यवाही पुलिस......प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री आनन्द मिश्रा, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बीकानेर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधन वर्ष 2018) में आरोपी श्री धर्मवीर यादव पुत्र महावीर सिंह, ग्राम व पोस्ट कालाखरी, तहसील खेतड़ी, थाना सिंघाना, जिला झुंझुंनूं तत्कालीन पद- सहायक उप निरीक्षक पुलिस थाना बज्जु, जिला बीकानेर वतर्मान पद- सहायक उप निरीक्षक, रिजर्व पुलिस लाईन, बीकानेर के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री जय कुमार, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, इन्टे-बीकानेर को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 24 पर अंकित है। (सुनिल सिहाग) पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 874-77 दिनांक 02.06.2026 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-1- विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, बीकानेर 2- पुलिस अधीक्षक, बीकानेर 3- उप महानिरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, रेंज बीकानेर 4- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बीकानेर। पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** jai kumar nayak **Rank (पद):** निरीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Sunil Sihag
Location: Rajasthan,IN
Date: 02/06/2026 11:32:57

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): Sunil Sihag

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1979				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)